रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 28, 2014/कार्तिक 6, 1936
No. 556] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2014/KARTIKA 6, 1936

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 756(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2014 है।

(2.) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में, ज्येष्ठ अभिलेख पाल के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 13 के सामने, स्तंभ 12 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"**प्रतिनियुक्ति:** 1800 रुपये के ग्रेड वेतन वाले ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में ऐसे कर्मचारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन का प्रमाणपत्र हो, जिसके न हो सकने पर नियमित ज्येष्ठ अभिलेखपालों में ऐसे ज्येष्ठ अभिलेखपाल जो अन्य मंत्रालयों या विभागों से हों।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित

वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन व वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी"।

[फा. सं. 1 (1)/2009–का.–III]

राजकुमार गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:–मूल नियम भारत के राजपत्र भाग–II खंड 3 उप–खंड (i) में सा.का.नि. 660(अ) तारीख 6 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें सा.का.नि. 955(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 2010 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2014

G.S.R. 756(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2010, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'C' posts) Recruitment Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2010, against serial number 13 relating to the post of Senior Record Keeper, for the entries under column 12, the following entries shall be substituted, namely:—

"**Deputation:** From amongst Group 'C' employees with grade pay of Rs. 1800 who have rendered three years regular service in the grade and possess matriculation from a recognised Board, failing which from regular Senior Record Keepers from other Ministries or Departments.

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation".

[F. No. 1 (1)/2009-Pers. III]

RAJ KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3 Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 660(E), dated the 6th August, 2010 and subsequently amended by number G.S.R. 955(E), dated the 7th December, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.